छत्तीसगढ़ शासन
वित्त,वाणिज्यिक कर,योजना,आर्थिक एवं सांख्यकी तथा
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय

अधिसूचना

क्रमांक एफ.10/7(ए)/वा.कर/पांच/2001, रायपुर,दिनांक 29.3.2001

चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है,कि लोकहित में,ऐसा करना आवश्यक है,अतएव छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाओ में निम्नलिखित संशोधन करती है,अर्थात :-

संशोधन

निम्न अधिसूचनाओं में :-

1. क्रमांक-ए-3-24-एसटी-V(108) 6 अक्टूबर 1994
2. क्रमांक-ए-3-11-86-एसटी-V(74) दिनांक 16.10.1986
3. क्रमांक-ए-3-30-91-एसटी-V(7) दिनांक 15-01-1992
4. क्रमांक ए-3-14-92-एसटी-V(50) दिनांक 03-06-93

(1) वर्णित राज्य अपीलीय फोरम के सदस्य,सदस्य सचिव तथा अध्यक्ष की सूची को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

1. भारसाधक मंत्री,वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग (छत्तीसगढ़ शासन) अध्यक्ष
2. भारसाधक मंत्री,वित्त,वाणिज्यिक कर,योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त,वाणिज्यिक कर,योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी,तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग (छत्तीसगढ़ शासन) सदस्य
4. प्रमुख सचिव/सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग (छत्तीसगढ़ शासन) सदस्य
5. प्रमुख सचिव/सचिव-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग(छत्तीसगढ़ शासन) सदस्य सचिव

(2) उपरोक्त संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उपसचिव,छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त,वाणिज्यिक कर,योजना,
आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा

GOVT. OF CHHATISGARH

Finance, Commercial Tax, Planning, Economics & Statistics and

20 Point Programme Implementation Department

MANTRALAYA, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 29.3. 2001

No.F10/7(A)/CT/5/2001, Whereas the State Government is satisfied that it is necessary to do so in the public interest, (1) Now therefore, in exercise of the powers conferred by section-17 of the "Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995)" and (2) sub-section (5) of section 8 of the "Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956)" the State Government hereby makes the following amentment in this departments notificationsnamely:-

AMENDMENT

In following Notifications:-

(1) No. A-3-24-ST-V(108) dt 6 the october 1994.

(2) No. A-3-11-86-ST-V(74) dated 16th October 1986.

(3) No. A-3-30-91-ST-V(7) dated 15th January 1992.

(4) Annexure I No. A-3-14-92-ST-V(50) dt. 3rd June 1993.

For the list of member, member secretry, Chairman following list shall be substituted

1.	Minister-in-charge, Commerce and IndustriesDepartment (Govt. of Chhattisgarh)	Chairman
2.	Minister-in-Charge, Finance, Commercial Tax, Planning, Economics & Statistics and 20 Point Programme Implementation Department (Govt. of Chhattisgarh)	Member
3.	Additional Chief Secretary/Secretary, Finance, Commercial Tax, Planning, Economics & Statistics and 20 Point Programme Implementation Department (Govt. of Chhattisgarh)	Member
4.	Principal Secretary/Secretary, Law and Legislative Department (Govt. of Chhattisgarh)	Member
5.	Principal Secretary/Secretary, Commerce and Industries Department (Govt. of Chhattisgarh)	Member Secretary

(2) The above mentioned amendment shall be in force in the state of Chhattisgarh only.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

(K.R.Misra)
Deputy Secretary
Government of Chhattisgarh
Finance, Commercial Tax, Planning, Economics
& Statistics and 20 Point Programme
Implementation Department, Raipur

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30.5.2001

क्रमांक 979 एफ/10/200/2001/वा.क./पांच(17) – चूंकि राज्य शासन को विचार में छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम 1995 में संशोधन करना एवं तत्काल प्रवृत्त करना आवश्यक है।

अतएव, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कथित नियम में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है

संशोधन

उक्त कथित नियम में,

1. नियम 8 में :

(1) उपनियम (1) में शब्द " पांच " के स्थान पर शब्द "सात " प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) उपनियम (2) में खण्ड (ग) के पश्चात निम्न खण्ड जोड़ा जायेगा :

"(घ) माल पर कर की दर 8 प्रतिशत होने की स्थिति में :

(i) एक लाख रुपये तक के सकल आवर्त होने की दशा में आवर्त का 4 प्रतिशत

(ii) एक लाख रुपये से अधिक आवर्त होने पर, चार हजार रुपये + एक लाख रुपये से अधिक आवर्त का 6 प्रतिशत

2. नियम 19 के उपनियम (4) के खण्ड (ग) के पश्चात निम्न खण्ड जोड़ा जायेगा

"(घ) प्रत्येक पंजीयत व्यवसायी, जिन्हें उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन विवरण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वर्ष के अंतिम विवरणी के साथ, पूरे वर्ष के लिये, माल क्रय की नकल खरीदी सूची, गणना पत्रक विवरण पत्र में दर्शित छूट से संबंधित अभिलेख तथा कर भुगतान के चालान प्रस्तुत करेगा।

3. नियम 42 के पश्चात निम्न नियम जोड़े जायेंगे यथा "

(21)

नियम 42–क स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायी व्यक्तियों को पंजीयन प्रमाण पत्र का प्रदाय संशोधन एवं निरस्तीकरण

(1) धारा 35–ख की उपधारा (1) के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रारूप 42–क में दिया जायेगा।

(2) पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर पंजीकृत करने वाला अधिकारी, यदि उसे समाधान हो जाता है कि, आवेदन सही है तथा आवश्यक जानकारियां प्रस्तुत की गई है, प्रारूप 42–ख में पंजीयन प्रदान करेगा । यदि पंजीकृत करने वाले अधिकारी को समाधान हो जाता है कि आवेदन नियमानुसार नहीं है या आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत नही की गई है तो वह आवेदक को निर्देशित करेगा कि वह ऐसी अतिरिक्त जानकारियां , जो आवश्यक समझी जाये , को प्रस्तुत करें । अतिरिक्त जानकारियों पर विचार पश्चात पंजीकृत करने वाला अधिकारी प्रारूप 42–ख में पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदाय करेगा ।

(3) उप नियम (2) के तहत प्रदाय किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति, यदि उसमें संशोधन/निरस्तीकरण चाहता है, तो वह एक आवेदन पंजीयन प्रमाण पत्र सहित पंजीयन प्रदाय करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा उसमें चाहे गये संशोधन/निरस्तीकरण के कारणों का विशिष्ट रूप से कथन करेगा, और उस पर विहित प्राधिकारी यदि दिये गये कारणों से संतुष्ट हो तो तदानुसार पंजीयन प्रमाण पत्रों में संशोधन /निरस्तीकरण की कार्यवाही करेगा ।

नियम 42–ख स्त्रोत पर कर की कटोती करने के दायी व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करना:

(1) अधिनियम के तहत स्त्रोत पर कटोती करने के दायी प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रारूप 42–ग में विवरणी प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी, उसके पश्चातवर्ती माह के 30वें दिवस को या उससे पूर्व, सप्लायर/ठेकेदार को किये गये भुगतान एवं भुगतान से की गई कर की कटौती को दर्शाते हुए करेगा।

(2) उप नियम (1) के निर्बन्धों एवं शर्तो के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति, त्रैमास के लिए निर्धारित तिथि तक विवरणी प्रस्तुत करेगा, भले ही सप्लायर/ठेकेदार से स्त्रोत पर कर की कोई कटोती नहीं की गई हो ।

(3) उप नियम (1) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक विवरणी के साथ धारा 34 एवं 35 के प्रावधानों के तहत देय कर के भुगतान के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति संलग्न की जायेगी।

4. नियम 91 में प्रविष्टि कमांक 10 –क के पश्चात निम्न प्रविष्टि अंतः स्थापित की जायेगी :

"10 ख 35 ख एवं 35 ग	पंजीयन प्रदाय करना शास्ति आरोपित करनां	आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा लिखित अनुमति पर वाणिज्यिक कर अधिकारी या सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

(3)

5 फार्म 42 के पश्चात् निम्न प्रारूप अंतःस्थापित किये जायेंगें :

" फार्म 42–क "
(देखिये नियम 42–क (1))

स्रोत पर कटौती हेतु दायी व्यक्ति द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन:

प्रति,
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त ---------------

मैं, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 की धारा 35–घ के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन करता हूं .विवरण निम्नानुसार है :

(1) आवेदक का नाम ---------------------------------------

(2) कार्य के प्रमुख स्थान का पता (भवन / गली / सड़क / म्युनिसपल वार्ड / नगर / शहर / तहसील / जिला)---------------------------

(3) आवेदन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की प्रास्थिति (स्वामी / भागीदार / मुख्य पदाधिकारी / एजेन्ट / प्रबंधक / निर्देशक / सचिव) ----------- -----

(4) व्यक्ति की श्रेणी (व्यक्ति / फर्म / कंपनी / निगम / सोसायटी / क्लब / एसोसिएशन) ------------------------ –

(5) यदि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 / केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीयत हो तो पंजीयन कमांक

(क) वाणिज्यिक कर अधिनियम के अधीन -------------- ---------

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन --------- ---------

(ग) सप्लाई / ठेके की प्रकृति जिसके कारण स्त्रोत पर कटौती का दायित्व आता है -------------------------

दिनांक:----------
स्थान:---------

हस्ताक्षर --------- ---
प्रास्थिति -------- -----

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

अभिस्वीकृति

(नाम एवं पते की विशिष्टियां आवेदक द्वारा भरी जाएं)

फार्म 42–क में पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त किया

आवेदक का नाम ---------------------------------

जावक का पूर्ण पता ---------------------------------

स्थान ----------
दिनांक ----------

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

फार्म 42–ख
(देखिए नियम 42–क (2))

स्त्रोत पर कर की कटौती करने के दायी व्यक्तियों का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांकः--------------

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ------------------------------ ----------स्थान------------------------------ स्वामी / भागीदार / प्रमुख पदाधिकारी / एजेन्ट / प्रबंधक / कार्यालय प्रमुख / फर्म / क्लब / एसोसियेशन / सोसायटी / निगम / कम्पनी का पंजीयन छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम ,1994 ,की धारा 35–ख के अंतर्गत किया गया है ।

पंजीयम प्रमाण–पत्र धारक निम्न प्रकृति की सप्लाई/ठेकों के लिए स्रोत पर कर की कटोती हेतु दायी है :

मुद्रा

स्थान------------------ हस्ताक्षर ------------------

दिनांक------------------ पदनाम ------------------

फार्म 42–ग

(देखिए नियम 42–ख (1))

स्त्रोत पर कटौती के दायी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की ज़ाने वाली विवरणी

अवधि ------------से ------------ के लिए देय कर की विवरणी

व्यक्ति का नाम ------------------------

पता ------------------------------------

पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक ------------------

(6)

अ० क्र०	सप्लायर / ठेकेदार का विवरण,नाम व पता पंजीयन क्रमांक (यदि कोई हो	भुगतान का दिनांक	भुगतान की गई राशि	भुगतान से संबंधित ठेके / सप्लाई की प्रकृति	भुगतान से कर की कटौती		टिप्पणी
					कर की दर	राशि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

देय कर की राशि ------------------------

चालान क्रमांक एवं दिनांक सहित ,भुगतान की गई राशि रूपये ---- ------ ------ -

उपरोक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है ।

स्थान :----------------
दिनांक :-------------

हस्ताक्षर ----------------
प्रास्थिति ----------------

अभिस्वीकृति

(नाम एवं पता व्यक्ति द्वारा भरा जाये)

व्यक्ति का नाम ------------------------------------

जाक का पूर्ण पता ------------------------------------

से अवधि ------------- से ------------------की विवरणी चालान क्रमांक ------------ दिनांक ------------ रूपये ---------------- के लिए सहित प्राप्त किया ।

स्थान ---------------.
दिनांक --------------

प्राप्तिकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
पूरे नाम व पदनाम सहित "

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के. आर. मिश्रा)
उप सचिव
वाणिज्यिक कर

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

FINANCE, COMMERCIAL TAX, PLANNING, ECONOMIC AND STATISTICS & 20-POINT PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Raipur,Date 30.5.2001

No.979/E10/200/2001/CT/V/(17) Whereas, the State Government considers that the following amendments in the Chhattisgarh Commercial Tax Rules,1995 should be made and brought into force at once.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 80 of the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following further amendments in the said rules.

AMENDMENTS

In the said rules:

1. In rule 5:

(1) In sub-rule (1) for word the "five" the word "seven" shall be substituted.

(2) In sub-rule (2) after clause (c) ,the following clause shall be inserted:

"(d) In case of goods liable to tax at the rate of eight percent-

(i) Upto a turnover one lakh rupees : Four percent of the turnover.

(ii) Turnover exceeding one lakh rupees: Four thousand rupees plus eight percent of the amount of the turnover exceeding one lakh rupees.

2. In sub-rule (4) of rule 19 after clause (c), the following clause shall be inserted-

"(d) Every registered dealer required to furnish return under clause (b) of sub-rule (1) shall furnish for the whole year, a copy of goods account, purchase list, computation sheet, documents relating to deductions shown in return and challan of payment of tax along with the last return for the year."

(4)

After rule 42, the following rules shall be inserted ,namely:

"Rule 42-A Grant amendment and Cancellation of certificate of Registration to person liable for tax deduction at source.

(1) An application for obtaining a Certificate of Registration under sub-section (1) of Section 35-B shall be made in form 42-A.

(2) on receipt of an application for registration the registering authority shall, if it is satisfied that the application is in order and the necessary particulars have been furnished, grant a Certificate of Registration in form 42-B. If the registering authority finds that the application is not in order or that all necessary particulars have not been furnished, it shall direct the applicant to furnish such additional information as may be considered necessary . After considering the additional information , the registering authority shall grant a certificate of registration in form 42-B.

(3) Where a person holding a Certificate of Registration granted under sub rule (2) desires it to be amended or cancelled, he shall submit an application to the registering authority specifically stating the amendments or cancellation desired with reasons therefor, together with the Certificate of Registration and thereupon such authority shall, if satisfied, with the reasons given, amend or cancel the Certificate of Registration accordingly.

Rule 42-B Furnishing of returns by persons liable for tax deduction at source

(1) every person liable for tax deduction at source registered under the Act, shall furnish a return in form 42-C, for each quarter on or before 30th day of the month following the quarter to which such return relates, showing there in payments made to suppliers/contractors and tax deducted from the payments.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), every person referred to shall furnish the return for every quarter by due date ,even if no tax is in that sub rule deducted from suppliers/contractors.

(3) Every return to be furnished under sub-rule (1) shall be accompanied by receipted challan in token of the payment in accordance with the provision of Section 34 and 35, of the tax payable by the person according to such return."

4. In rule 91 after entry 10 A the following entry shall be added:

10 B and 35-C 35-B In form To grant registration To impose penalty Commercial Tax Officer or Assistant Commercial Tax Officer authorised in writing by the Commissioner.

5. After form 42 following forms shall be inserted :

"Form 42-A
(See rule 42-A (I))

Application for Registration for persons liable for tax deduction at source

To,
The Commercial Tax Officer ,
Circle.............................

I, hereby apply for a Certificate of Registration under Section 35-B of Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 as per particulars given below:-

(1) Name of the applicant

(2) Address of the principal place of work (Building /street/ Road/Municipal ward/Town /City/Tehsil/District ....

(3) Status of the person signing the form (Whether proprietor/partner/principal/officer/agent/manager/director/ Secretary)..................

(4) Class of the person (whether individual /firm/company/ corporation/society/club/association/etc.)......................................

(5) If registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 /Central Sales Tax Act, 1956 the number of Registration Certificate

(a) under Vanijyik Kar Adhiniyam

(b) under Central Sales Tax Act

(c) Nature of supply/contract for which liability for tax deduction at source arises ... ...

Place................. Signature.......................

Date.................. Status.............................

*Strike out whichever is not applicable.

* Acknowledgment

(Particulars of name and address to be filled in by the applicant
Received an application for Registration in form 42-A

From :-

Name of the applicant.....................

Full postal address..........................

Place ....

Date......................... Signature of the receiving officer.

Form 42-B
(See rule 42-A (2))

Certificate of Registration of persons liable for tax deduction at source

No......................

This is to certify that the Proprietor/Partner/ Principal /Officer/Agent/ Manager/Head of Office of the establishment /Firm /Club/Association /society /Corporation/Company known as ....and located at ....

Has been Registered under Section 35-B of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994.

The holder of the Certificate is liable for tax deduction at source for supplies /contracts of the nature ....

Seal

Place................................ Signature.....................

Designation.....................

Date................................

Form 42-C
(See rule 42-B(1))

Return by person liable for tax deduction at source
Return of tax payable for the period from ....
to.........................

Name of the person...

Address...

RegistrationCertificate No.. .

S.No	Details of suppliers /Contractor Name & Add Reg. No.(If any).	Date of payment	Amount paid	Nature of supply/ Contract For which Payment relates	Tax deducted from payment		Remark
					Rate of tax	Amount	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

....

Amount of tax payable...

Amount paid with challan No. and date..

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Place..................... Signature....................

Acknowledgment

(Particulars of Name and address to be filled by the person)

Received return for the period from .. ..to.......... .... with challan No. ....Date....................for Rs ....from

Name of the person............................

Full postal address..............................

Place..........................

Date............................

Signature with full name and Designation of the receiving Officer."

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

(K.R. Misra)
Deputy Secretary
Commercial Tax

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक, एवं सांख्यिकी
तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम कियान्वयन विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 04/06/2001

क्रमांक – / एफ–10/153/2001/वा.क./पांच (24)– छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा हैंक यार्न, कोसा यार्न तथा सभी प्रकार के कफून को उक्त अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अधीन कर से छूट 1/4/2001 से 31/3/2002 तक की कालावधि के लिए प्रदान करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के. आर. मिश्रा)
उप सचिव
वाणिज्यिक कर

Government of Chhattisgarh

FINANCE, COMMERCIAL TAX, ECONOMIC, PLANNING AND STATISTICS & 20 POINT PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Date. 4.6.2001

No.-/F 10/153/2001/CT/V(24)- In exercise of the powers conferred by section(17)of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No 5 of 1995), the State Government hereby exempts Hand Yarn, Kosa yarn and all types of Cacoons from payment of tax under section 9 and 10 of the said Adhiniyam for the period from 1 st April 2001 to 31 March 2002

By order and in name of
the Governor of Chhattisgarh

(K.R. Misra)
Deputy Secretary
Commercial Tax

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12/06/2001

क्रमांक एफ10/3/2001 /वाक/पाँच (25) चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न स्थानों पर छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (1995 का क्रमांक 5) के अधीन कर अपवंचन रोकने हेतु यह आवश्यक है। अत: राज्य शासन द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 45 ए की उपधारा (1) में दिये गये अधिकारों का उपयेाग करते हुए अधिसूचना क्रमांक एफ /10/03/2001 वाढकर/पाँच (9) दिनाँक 01/05/2001 के अनुक्रमांक 1 में स्थापित जाँच चौकी और नाका के स्थान का नाम एवं वर्णन तथा जाँच चौकी और नाका की स्थिति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

अनुक्रमांक	जाँच चौकी और नाका के स्थान का नाम एवं वर्णन	जाँचचौकी और नाका की स्थिति
1.	बम्बई कलकत्ता मार्ग पर राजनाँदगाँव जिले में पाटेकोहरा (रामपुर) में छत्तीसगढ़ के भीतर आने वाले वाहन (इनकमिंग) एवं बम्बई की ओर से कलकत्ता जाने वाले माल के वाहनों (आउट टू आउट) से संबंधित जाँच हेतु जाँच चौकी	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 नागपूर मार्ग पर राजनाँदगाँव से 40 वे और 41 वे किलोमीटर के बीच
2.	बम्बई कलकत्ता मार्ग पर राजनांगॉव जिले के ग्राम चिचोला में छत्तीसगढ़ राज्य से नागपूर की ओर जाने वाले माल वाहन (आउट गोविंग) एवं कलकत्ता की ओर से बम्बई जाने वाले माल के वाहनों (आउट टू आउट) से संबंधित जाँच हेतु जाँच चौकी	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 नागपूर मार्ग पर राजनाँदगाँव से 38 वे और 39 वें किलोमीटर के बीच

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनाँक से प्रभावशाली होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

12/6/01
(शैलेश पाठक)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance, Commercial Tax, Planing, Economic and Statistics and 20 Point Programme implenment Department

Notification

Raipur Dated 12/06/2001

No F-10/3/2001/CT/V/(25) Whereas the State Government is Satisfied that it is necessary to do so with a view to prevent of check evasion of tax under the Chhattisgarh Commercial TAx Act 1994 (No 5 of 1995). The State Government in exercise of the powers conferred by sub Section (1) of Section 45 A of the said Act, has set up the check post and errect the barriers by notification No F-10/3/2001/CT/V(9) Raipur dated 01/05/2001.S.No. 1 of said notification is here by ammended as under:

S.No	Name of Description of Place of Check Post & Barriers	Location of Check Post & Barriers
1.	Patekohara (Rampur) Checkpost on Bombay-Calcutta Road in Rajnandgoan District. To Check the incoming goods vehicle and incoming out to out vehicle towards Calcutta.	Between 40th and 41th K.M. from Rajnandgaon on Raipur Nagpur Road National Highway No 6
2.	Village Chichola Checkpost on Bombay Calcutta Road in Rajnandgaon District. To check theout going goods vehicle and outgoing out to out vehicle towards Bombay.	Between 38th and 39th K.M. from Rajnandgaon on Raipur Nagpur Road National Highway No. 6

This Notification shall come into force with effect from the date of publication in official gazette.

By Order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

12/6/01
(Shailesh Pathak)
Jonit Secretery

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त, वाणिज्यिक कर , योजना आर्थिक एवं साख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 1439/एफ 10 / 3/ 2001 / पांच (35) रायपुर, दिनांक 19-7-2001

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि ,राजनांदगांव – जबलपुर (व्हाया कवर्धा) मार्ग पर जिला कवर्धा में , छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रं . 5 सन् 1995) के अधीन कर अपवंचन के निवारण अथवा रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है।

अत : राज्य शासन द्वारा , उपरोक्त अधिनियम की धारा 45 (ए) की उपधारा (1) में वर्णित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए , नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान पर दिनांक 01-08-2001 से वाणिज्यिक कर जांच चौकी एवं नाका स्थापित किया जाता है :-

अनुसूची

अनु.	जांच चौकी और नाका के स्थान का नाम तथा वर्णन	जांच चौकी एवं नाका की स्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	कवर्धा जिले में राजनांदगांव – जवलपुर (व्हाया कवर्धा) मार्ग पर ग्राम पोंडी	राज्य मार्ग क्रमांक 9, राजनांदगांव जबलपुर (व्हाया कवर्धा) मार्ग पर राजनांदगांव से 136वे एवं 137 वे कि.मी. के मध्य

यह अधिसूचना दिनांक 01 अगस्त 2001 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के . आर. मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE , COMMERCIAL TAX , PLANNING , ECONOMIC AND STATISTICS & 20 - POINT PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT .

NOTIFICATION

No 1937 / F/ 10/3/2001 / CT / V/ (35) Raipur,Dated 19-7-2001

Whereas , the State Government is satisfied that , it is necessary to do so, with a view to prevent or check , evasion of tax under the Chhattisgarh Commercial Tax Act , 1994 (No. 5 of 1995) enroute Rajnandgaon - Jabalpur (Via - Kawardha) in Kawardha district .

Now therefore, in excercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 45 (A) of the said Act , the state Government hereby set- up check post and barrier w. e.f. 01-08-2001 at the place specified in the Schedule below :-

SCHEDULE

S. N.	Name and Description of place of check post and barrier	Location of check post and barrier
(1)	(2)	(3)
1.	Village Poundy on Rajnandgaon - Jabalpur (Via kawardha) Road in Kawardha District .	Between 136 th and 137 th k.m. from Rajnandgaon - Jabalpur (Via Kawardha) Road , state Highway No. 9

This notification shall come in to force with effect from 01.08.2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh .

Kmisra

(K.R. MISRA)
Deputy Secretory
Govt . of Chhattisgarh
Commercial Tax Department

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 10.8.2001

क्रमांक 1681 एफ– 10/332/2001/वाक–पांच(37) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग की धारा 9 के अधीन कर के भुगतान के उस सीमा तक के लिए जो कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उक्त सूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए 01.10.2000 से 31.03.2002 तक छूट प्रदान करती है :–

अनुसूची

क्रम	माल का वर्ग	कालावधि	निबंधन तथा शर्तें जिनके अधीन छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पॉलीथीन इंस्युलेटेड जेली फिल्ड टेलीफोन केबल्स, ऑप्टिकल फायबर टेलीफोन केबल्स, पी.वी.सी. इन्सुलेटेड जी.आई. वायर, ड्राप वायर, उनकी एक्सेसरीज एवं अन्य प्रकार के दूर संचार केबल्स	अंशतः इस प्रकार कि जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए।	जब छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन 1995) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड या उसकी सहायक कंपनियों को विक्रय किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप–सचिव

Government of Chhattisgarh

FINANCE, COMMERCIAL TAX, PLANNING, ECONOMIC AND STATISTICS
& 20-POINT PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

MANTRALAYA

NOTIFICATION

Raipur, dated 10. 8. 2001

No. 1681 /F- 10 /332/2001/CT/V(37). In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) (hereinafter referred to as the Adhiniyam), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam, to the extent specified in column (3) for the period from 01.10.2000 to 31.03.2002 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule :

SCHEDULE

S.No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Polythene insulatated jelly filled telephone cable, Optical fibre telephone cable, PVC Insulated GI wire, Drop wire, accessories and telecommunication cables of other types	partly so as to reduce the rate of tax under section 9 to 4percent	When sold by a dealer registered under the Adhiniyam to Bharat Sanchar Nigam Limited or its subsidiary companies.

By order and in the name of the Governor
of Chhattisgarh

(K. R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 20.8.2001

क्रमांक 1741 एफ– 10 /334 /2001/वाक–पांच(40) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (1995 का क्रमांक 5), की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए3/28–2000–वा.क./पांच (28) दिनांक 13.4.2000 में पुनः निम्नलिखित अनुसार संशोधन करता है :–

संशोधन

1. अधिसूचना के अनुक्रमांक 5 के कॉलम नंबर 4 में शब्द "मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम" के स्थान पर "छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड" तथा शब्द "मध्यप्रदेश" के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" प्रतिस्थापित किया जावे।
2. कॉलम नंबर 4 में शब्द "विभाग को" के पश्चात शब्द "तथा छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग को" जोड़ा जावे।
3. अधिसूचना के संलग्न अपेंडिक्स में शब्द 'मध्यप्रदेश' के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" प्रतिस्थापित किया जावे।

उपरोक्त संशोधन दिनांक 1.4.2001 से प्रभावशील माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh

FINANCE, COMMERCIAL TAX, PLANNING, ECONOMIC AND STATISTICS & 20-POINT PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

MANTRALAYA

NOTIFICATION

Raipur dated 20.8.2001

No. 1741 /F- 10 / 334 /2001/CT/V(40)In exercise of powers conferred under section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following further amendments in this department Notification No. A-3/28-2000-ST-V (28) Dated 13-4-2000;

Amendment

(1) In column number 4 of serial number 5 of the notification in place of the words "Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam" the words "Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited" and in place of word "Madhya Pradesh" the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

(2) In column 4 after the word "departments" the words "and Chhattisgarh Human Rights Commission" shall be inserted.

(3) In the appendix attached to the notification the word "Chhattisgarh" in place of the words "Madhya Pradesh" shall be substituted.

Above amendments shall come into effect from 01.04.2001

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

(K. R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 10.8.2001

क्रमांक 1686 एफ– 10 / 324 / 2001 / वाक–पांच(41) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में; उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट रीति तथा सीमा तक संशोधन करती है, अर्थात् :–

अनुसूची

क्रमांक	अधिसूचना क्रमांक व दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1	A-5-1-94-विक-पांच(22), दिनांक 1.4.1995	अनुसूची के अनुक्रमांक 5 में से शब्द "रिरोलिंग स्टील मिल से भिन्न" विलोपित किये जायें।
2	A-3-10-2000-विक-पांच (11), दिनांक 21.1.2000	अनुसूची के अनुक्रमांक 21 एवं 22 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ विलोपित की जायें।
3	A-3-20-2000-विक-पांच(22), दिनांक 29.3.2000	अनुसूची के अनुक्रमांक 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि विलोपित की जाये।
4	A-3-28-2000-विक-पांच(30), दिनांक 13.4.2000	अनुसूची के अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 तथा उनसे संबंधित घोषणा पत्रों सहित प्रविष्टियाँ विलोपित की जायें।

2. यह संशोधन दिनांक 10 अगस्त 2001 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh

FINANCE, COMMERCIAL TAX, PLANNING, ECONOMIC AND STATISTICS & 20-POINT PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

MANTRALAYA

NOTIFICATION

Raipur, dated 10.8.2001

No. 1686/F- 10 /324/2001/CT/V(41). In exercise of the powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No.5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in this department notifications specified in column (2) of the schedule below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said schedule, namely :

SCHEDULE

S.No.	Notification No. and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1	A-5-1-94-ST-V(12), dated 1st April, 1995	In the schedule from serial number 5 the words "not being a re-rolling steel mill" shall be deleted.
2	A-3-10-2000-ST-V(11), dated 21st Jan, 2000	In the schedule serial number 21 and 22 and entries relating thereto shall be deleted.
3	A-3-20-2000-ST-V(22), dated 29th March, 2000	In the schedule serial number 3 and entry relating thereto shall be deleted.
4	A-3-28-2000-ST-V(30), dated 13th April, 2000	In the schedule serial number 1, 2, 3, 4 and 5 and entries with declaration forms relating thereto shall be deleted.

2. These amendments shall come into force with effect from 10th Aug 2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

(K. R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 27-8-2001

क्रमांक 1797 एफ- 10 /324/2001/वाक/पांच(44) -- छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की अनुसूची-2 के संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जा रहा है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अवसान होने के पश्चात विचार किया जाएगा।

किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप के संबंध में उपर विनिर्दिष्ट दिनांक से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा :-

प्रारूप संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में,

भाग-तीन की प्रविष्टि क्रमांक 54 के पश्चात निम्नलिखित क्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाये, अर्थात्

55	अनुसूची में अन्य कहीं भी विनिर्दिष्ट को छोड़कर सभी प्रकार की गैस जिसमें लिक्विीफाइड गैस शामिल है	12

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक 27-8-2001

क्रमांक 1798 एफ- 10 /324/2001/वाक/पांच - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1797 एफ- 10 /324 /2001/वाक/पांच(44), रायपुर, दिनांक 27.8.2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh

FINANCE, COMMERCIAL TAX, PLANNING, ECONOMIC AND STATISTICS & 20-POINT PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

MANTRALAYA

NOTIFICATION

Raipur, dated 27-8-2001

No. 1797/F- 10 /324/2001/CT/V(44) - The following draft amendment to Schedule II to the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No.5 of 1995), which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the said Adhiniyam, is published as required by the second proviso to the said sub-section, for information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of five days from the date of publication of this notification in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the date specified above, shall be considered by the State Government :-

DRAFT AMENDMENT

In the Schedule II of the said Adhiniyam, -

In part III, after serial number 54, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :-

55	All kinds of gases including liquified gases except those specified elsewhere in the schedule	12

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

(K. R. Misra)

Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 1.9.2001.

क्रमांक 1882/एफ– 10/324/2001/वाक/पांच(45) -- छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त उपधारा के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1797 एफ–10/324/2001/वाक/पांच(44), दिनांक 27.8.2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची–2 में

भाग–तीन की प्रविष्टि क्रमांक 54 के पश्चात निम्नलिखित क्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाये अर्थात्

55	अनुसूची में अन्य कहीं भी विनिर्दिष्ट को छोड़कर सभी प्रकार की गैस जिसमें लिक्विीफाइड गैस शामिल है	12

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 1.9.2001.

क्रमांक 1883/एफ– 10/324/2001/वाक/पांच – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1882/एफ– 10/324/2001/वाक/पांच(45), रायपुर, दिनांक 1.9.2001. का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh

FINANCE, COMMERCIAL TAX, PLANNING, ECONOMIC AND STATISTICS & 20-POINT PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

MANTRALAYA

NOTIFICATION

Raipur, dated 1.9.2001.

No. 1882/F-10/324/2001/CT/V(45) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No.5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in schedule II of the said Adhiniyam, the same having been previously published in Chhattisgarh Gazette vide this Department Notification No. 1797/F-10/324/2001/CT/V(44), dated 27.8.2001 as required by the proviso of the said sub-section, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule II of the said Adhiniyam, -

In part III, after serial number 54, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :-

55	All kinds of gases including liquified gases except those specified elsewhere in the schedule	12

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

(K. R. Misra)

Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी

तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 1.9.2001.

क्रमांक 1884/एफ-10/324/2001/वाक-पांच(46) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा इस विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को दिनांक 1 सितंबर 2001 से विखण्डित करती है, अर्थात –

1. अधिसूचना क्रमांक ए-3-10-2000-विक/पांच (53), दिनांक 20 जुलाई 2000
2. अधिसूचना क्रमांक एफ-10/153/2001-वाक/पांच (24), दिनांक 4 जून, 2001

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)

उप सचिव

Government of Chhattisgarh

FINANCE, COMMERCIAL TAX, PLANNING, ECONOMIC AND STATISTICS & 20-POINT PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

MANTRALAYA

NOTIFICATION

Raipur dated 1.9.2001.

No. 1884/F-10/324/2001/CT/V(46) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 994 (No.5 of 1995), the State Government hereby rescind the following notifications of this department with effect from 1 Sept 2001 namely :

1. – Notification No. A-3-10-2000-ST-V(53), dated 26th july, 2000
2. Notification No. F-10/153/2001-CT-V(24), dated 4th June, 2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

Kmisra

(K. R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय
अधिसूचना

क्रमांक 1930 एफ/10-2/2001/वा.क./पांच(47) रायपुर, दिनांक 4.9.2001.

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 326/641/वा.क., पांच/2001 दिनांक 1.3.2001 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना में शब्द "31 अगस्त 2001" के स्थान पर शब्द "30 नवम्बर 2001 " प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के. आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh

Finance, Commercial Tax, Planning, Economic, and Statistics & 20-Point Programme Implementation Department

Mantralaya

Notification

No. 1930 F/ 10-2/2001/CT/V(47)   Raipur, Dated 4.9.2001

In exercise of powers conferred by sub section (9) of section 27 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the state government hereby makes the following amendment in this departmental notification No. 326/641/CT/V/2001, dated 1.3.2001 namely :-

Amendment

1. In the Notification for word "31st August 2001", word "30th November 2001" shall be substituted.

By order and in name of the Governor of Chhattisgarh

(K.R. Mishra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी

तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 6.9.2001

क्रमांक 1939/एफ– 10/365/2001/वाक–पांच(48) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा इस विभाग की निम्न विनिर्दिष्ट अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है :–

संशोधन

1. अधिसूचना क्रमांक ए-3-11-86-विक-पांच(74), दिनांक 16.10.86 के उपाबंध–दो की कंडिका 4 उप–कंडिका (घ) के स्थान पर निम्न उप–कंडिका प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :–

(घ) राज्य स्तरीय समिति निम्न लिखित अधिकारियों से मिलकर बनेगी :–

1	आयुक्त वाणिज्यिक कर	अध्यक्ष
2	उद्योग आयुक्त या उनका प्रतिनिधि, जो अपर संचालक स्तर से कम ना हो	सदस्य सचिव
3	प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम या उनका प्रतिनिधि, जो अपर प्रबंध संचालक स्तर से कम ना हो	सदस्य

2. यह संशोधन दिनांक 1.11.2000 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh

FINANCE, COMMERCIAL TAX, PLANNING, ECONOMIC AND STATISTICS & 20-POINT PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

MANTRALAYA

NOTIFICATION

Raipur dated 6.9.2001

No. 1939/F- 10/365/2001/CT/V(48). In exercise of the powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No.5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in this department notification specified below:

AMENDMENT

1. In the Annexure II, for sub-para (d) of para 4 of the notification A-3-11-86-ST-V(74), dated 16th Oct., 1986, the following sub-para shall be substituted, namely :-

(d) The State Level Committee shall consist of the following officers :-

1	Commissioner of Commercial Tax	Chairman
2	Industries Commissioner or his representative not below the rank of Additional Director.	Member Secretary
3	Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation or his representative not below the rank of Additional Managing Director.	Member

2. This amendment shall come into force with effect from 1.11. 2000.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

(K. R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त ,वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 16.10.2001

क्रमांक एफ–10–381/2001/वा.क./पांच(56)–छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम,1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, कालम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए दिनांक 1 नवम्बर से 7 नवम्बर 2001 तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :–

अनुसूची

माल का वर्ग (1)	कालावधि (2)	निर्बन्धन तथा शर्ते जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई (3)
पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल आईल, लाईट डीजल आईल (एल.डी.ओ.), तेन्दू पत्ता, इमारती लकड़ी, लुब्रीकेन्ट्स और बांस को छोड़कर छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम,1994 (क्रमांक.5 सन्1995) के संलग्न अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट माल .	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन कर की दर 50 प्रतिशत घट जाए अथवा कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए, जो भी अधिक हो.	1. जबकि माल का विक्रय छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम,1994 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा विज्ञान महाविद्यालय मैदान रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव प्रदर्शनी 2001 परिसर में प्रदर्शनी की विनिर्दिष्ट कालावधि में उपभोक्ताओं को किया जाये और ऐसा व्यापारी– (एक) प्रदर्शनी परिसर में उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु उसके द्वारा प्रविष्ट माल की सूची ऐसे प्रवेश के समय, (दो) संलग्न प्रारूप में दैनिक विक्रयों की सूची द्वितीयक में अगले दिन, परन्तु 11.00 बजे पूर्वान्ह के बाद नहीं, प्रस्तुत करेगा तथा उस सूची की द्वितीयक में अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा और (तीन) प्रदर्शनी की समाप्ति पर प्रदर्शनी समाप्त होने के तीन दिन के भीतर ऐसे माल की सूची जो विक्रय न होने से बच गया हो, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव प्रदर्शनी 2001 परिसर में वाणिज्यिक कर कार्यालय के प्रभारी अधिकारी (कर्तव्यरत) को प्रस्तुत करेगा. 2. प्रदर्शनी में उपभोक्ताओं को किये गये विक्रयों के संबंध में प्रारूप 12 में एक पृथक् विवरणी ऐसी विवरणी के अनुसार देयकर के भुगतान के सबूत में प्रारूप.39 में चालान की एक प्रति के साथ समुचित वाणिज्यिक कर

		अधिकारी को प्रदर्शनी के अंतिम दिन के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करें : परन्तु जहां विवरणी उक्त कालावधि में प्रस्तुत नहीं की गई हो और उसके पश्चात् प्रस्तुत की गई हो, वहां ऊपर पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में किया गया विलम्ब, तकनीकी कारणों से होने पर आयुक्त द्वारा और अन्य कारणों से होने पर छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रत्येक प्रकरण में गुण दोष पर विचार करते हुए,विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि से प्रारंभ होने वाली तथा उस तारीख तक जिसको कि ऐसे कर का वास्तविक भुगतान किया गया है, समाप्त होने वाली कालावधि के लिये व्यापारी द्वारा विवरणी के अनुसार देय कर की राशि पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए माफ किया जाएगा. स्पष्टीकरण.– जहां वह अवधि जिसके लिए ब्याज का भुगतान किया जाना है, एक माह की कालावधि से कम है,वहाँ ऐसी कालावधि के लिए देय ब्याज की संगणना अनुपातिक रूप से की जायेगी . 3. मेला परिसर में लाये गये माल की प्रविष्टि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम,1994 के अधीन इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सत्यापन के अध्यधीन होगी.

नोट :– इसमें इसके पूर्व प्रयोग लिए गये पद ''उपभोक्ता'' से अभिप्रेत है. ऐसा कोई व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न हो .

प्रारूप

प्रदर्शनी परिसर में किये गये दैनिक विक्रयों की सूची

दिनांक ....

अनु.क्र.	बिल नम्बर तथा दिनांक	क्रेता का नाम एवं पूर्ण पता	माल का वर्ग	मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

स्थानः योग

दिनांकः ....

व्यवसायी अथवा उसके द्वारा अधिकृत एजेण्ट के हस्ताक्षर.

अभिस्वीकृति

मेसर्स .... (व्यवसायी का नाम व पैता) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अधीन .... (वृत का नाम) .... संभाग का नाम में रूपये .... (शब्दों में) .... की सूची प्राप्त हुई.

तारीख ....

समय ....

प्रभारी वाणिज्यिक कर अधिकारी
(कर्तव्यरत)
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव प्रदर्शनी 2001
के हस्ताक्षर

(11.00 बजे पूर्वान्ह के बाद नहीं)

सील————

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(के. आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर,दिनांक 16 अक्तूबर 2001

क्रमांक.एफ–10–381 / 2001 / वा क / पांच.,–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक.एफ–10–381 / 2001 / वा क / पांच (56), दिनांक 16 अक्तूबर 2001का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के. आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance, Commercial Tax, Planning, Economic and Statistics & 20-Point Programme Implementation Department
Mantralaya

NOTIFICATION

Raipur, Dated 16-10-2001

No.F-10-381/2001/CT/V(56)-In exercise of the powers conferred by section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (1) Of the schedule below from the payment of tax under section 9 of the said Act to the extent specified in column (2) for the period from the 1st November 2001 to 7th November 2001 (both days inclusive) subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said schedule:-

SCHEDULE

Class of goods (1)	Extent of exemption (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
Goods specified in schedule II appended to the C.G. Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No. 5 of 1995)	Partly so that the rate of tax is reduced by 50% or, to reduce the rate of tax to 5% under sub-section (1) of section 9	(1) When the goods are sold by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 to the consumers in the premises of Chhattisgarh Rajyotsava Exhibition - 2001 held at Science College ground Raipur during prescribed period of Exhibition and such dealer furnishes to the Officer In charge (on duty) Commercial Tax Officer, Exhibition Premises, Raipur :-

excluding Petrol, High speed diesel Oil, Light Diesel Oil (L.D.O.), Tendu leaves, Timber, Llubricants and Bamboo	whichever is Higher	(i) a list of goods entered by him in the Exhibition premises at the time of entry of such goods for sale to consumers. (ii) a list in duplicate of the daily sales in appended form to be furnished not later than 11.00 a.m. of the next day and obtain acknowledgement on the duplicate copy thereof., and (iii) a list of goods remaining unsold at the end of the Exhibition within three days of the close of the Exhibition . (2) Furnishes a separate return in form 12 in respect of sales made to the consumers in the Exhibition to the appropriate Commercial Tax Officer within fifteen days from the last day of the Exhibition along with a copy of challan in form 39 in proof of payment of the tax payable according to such return. Provided that where the return is not furnished within the said period but is furnished thereafter; the delay in the submission of the return within the time specified in paragraph 2 above which is due to technical reasons, shall be condoned by the Commissioner, Commercial Tax and in other reasons by the State Government in the commercial taxes department considering the merits of each case subject to the payment of interest at the rate of five percent, per month by the dealer on the amount of tax payable according to the return for the period

		commencing from the date up to which such return was due and ending with the date on which such tax was actually paid by him. Explanation- Where the period for which interest is payable covers a period less than a month the interest payable in the respect of such period shall be computed proportionately. 3. The particulars of the goods brought in the Exhibition premises shall be subject to the verification by any officer authorised for the purposes under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994.

Note- The expression " consumers" used herein before means any person other than a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik kar Adhiniyam, 1994

FORM

List of daily sales in the Exhibition premises

Date------

S.No.	Invoice No. & date	Name of the purchaser & full address	Class of goods	Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Total------------------------------------

Place-------------

Date-------------

Signature of the dealer or his authorised agent

ACKNOWLEDGEMENT

Received from---------------------(Name and address of the dealer) holding registration certificate No.---------------------- under Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 in ----------------- (name of the circle)---------(Division), the list of sales effected on ------------(date) for Rupees------------(in figures)------------------(in words).

Date-----------

Time-------------

(Not later than 11.00 A.M.)

Seal--------------------

Signature of the Commercial Tax Officer In charge (on duty)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कियान्वयन विभाग
मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 07 नवम्बर, 2001

एफ-10-381/2001/वा.क./पांच (62) छत्तीसगढ़, वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (कमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-10-381/2001/वा.क./पांच (56) दिनांक 16.10. 2001 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात

संशोधन

अधिसूचना में शब्द एवं अंक '' 7 नवम्बर'' के स्थान पर, शब्द एवं अंक ''12 नवम्बर'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance, Commercial Tax, Planning, Economic and Statistics &
20 Points Programme Implementation Department
Mantralaya

NOTIFICATION

Raipur Dated 7th November, 2001

No. F-10-381/20[illegible]/CT/V/(62 In Exercise of the Powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendment in this Department Notification No. F-10-381/2001/CT/V/[illegible] dated 16-[illegible]-2001 namely :-

Amendment

In the Notificatioin for Word & figure " 7th November", word & figure " 12th November " shall be substituted.

By order and in Name of the
Government of Chhattisgarh

K. Misra

(K. R. Mishra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक सांख्यिकी एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, मं त्रा ल य

अ धि सू च ना

क्रमांक 10-372 / एफ / ...... / 2001 / वा.क. / पांच(63)   रायपुर,दिनांक 8.11.2001

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (1995 का क्र 5) की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नीचे अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित वस्तुओं के श्रेणी को कालम (3) में दर्शायी गई सीमा तक शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 31–03–2002 तक धारा 10 (ए) के अन्तर्गत कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है ।

अ नु सू ची

अनुक्रमांक	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा
1	2	3
1	हैशियन क्लॉथ एवं बैग	संपूर्ण कर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उपसचिव

Government of Chhattisgarh
Finance, Commercial Tax, Planning Economics of Statistics and 20 Point Programme Implementation Department
Mantralaya

Notification

No..........................F/10-372/2001/CT/V(63) Raipur Dated 8.11.2001

In exercise of powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby exempt the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax under section 10-A to the extent specified in column (3) with effect from the date of publication in the official Gazzette upto 31-03-2002.

Schedule

S.No.	Class of Goods	Extent of Exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Hessian Cloth and Bags	Whole of Tax

By order and in the name
of the Governor of Chhattisgarh

Kmisra
(K. R. Mishra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय

अ धि सू च ना

क्रमांक 326/641/वाक/V/2001, रायपुर, दिनांक 1-3-2001.

चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि :-

(1) औद्योगिक इकाईयों के ऐसे अनेक प्रकरण जिनसे संबंधित आवेदन राज्य शासन अथवा उसकी किसी समिति अथवा फोरम के समक्ष लंबित है।

(2) राज्य शासन के अपीलीय फोरम एस. एल. सी. तथा डी. एल. सी. के समक्ष अनेक प्रकरण लंबित है ।

(3) गैर परंपरागत उर्जा की उत्पादक इकाईयों तथा ऐसी उर्जा का उपभोग करने वाले औद्योगिक इकाईयों के अनेक प्रकरण एस. एल. सी. के समक्ष लंबित है ।

(4) ऐसे अनेक प्रकरण है जिनमें पात्रता प्रमाण पत्र के अभाव में ही कर-निर्धारण किया जाकर अतिरिक्त मांग सृजित की गई है ।

(5) ऐसे सभी व्यवसाईयों का सही कर-निर्धारण गुण-दोष के आधार पर कर-निर्धारण अधिकारियों द्वारा सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए किया जाना है ।

(6) उक्त अधिकारियों द्वारा ऐसे कर निर्धारण की कार्यवाहियों को 28 फरवरी 2001 तक पूर्ण किये जाने के श्रेष्ठतम प्रयासों के उपरांत भी उक्त तिथि तक कार्यवाहियाँ पूर्ण होना संभव नहीं है ।

(7) उपरोक्त कार्यवाहियों का पूर्ण किया जाना आवश्यक है ।

अत: मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) सहपठित मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक-5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि निम्न प्रकरणों में कर-निर्धारण की कार्यवाही जो कि दिनांक 28 फरवरी 2001 तक पूर्ण नहीं हो पाई, की समयावधि दिनांक 31 मई 2001 तक बढ़ाई जाती है ।

(1) मे. ग्रेवाल रोलर्स प्रा. लि., टाटीबंद, रायपुर
सेल्स टेक्स पंजीयन क्र. आरवायपी/4/आरवायपी/2651/2) वर्ष 1997-98

(2) मेसर्स डी. एन. स्टील्स, उरला इंडस्ट्रियल एरिया, रायपुर
सेल्स टेक्स पंजीयन क्र. आरवायपी/4/आरवायपी/2772/7) वर्ष 1997-98

(3) मे. डी. एन. स्टील्स, उरला इंडस्ट्रियल एरिया, रायपुर

(4) मेसर्स जय बजरंग सीमेंट (प्रा.) लि. (वर्तमान नाम- हीरा इंडस्ट्रियल लि.) उरला इंडस्ट्रियल एरिया,रायपुर यूनिट एट जगदलपुर (सेल्स टेक्स पंजीयन क्रमांक- आरवायपी/4/आरवायपी/2786/9) वर्ष 1997-98

(6) मे. जय बजरंग सीमेंट (प्रां.) लि. (वर्तमान पता-हीरा इंडस्ट्रियल लि.) उरला इंडस्ट्रियल एरिया,रायपुर यूनिट एट जगदलपुर (93-94 प्रांतीय एवं के.प्रकरण

(7) मेसर्स हीरा स्टील लि.,रांवाभाठा,रायपुर
सेल्स टेक्स पंजीयन क्र.-1005/4121/9/(एस) वर्ष 1997-98

(8) मेसर्स रायपुर एलाएज एंड स्टील लि.
सेल्स टेक्स पंजीयन क्र. आरवायपी/4/आरवायपी/2623/8) वर्ष 97-98

(9) मेसर्स रायपुर गैसेस(प्रा.) लि. भनपुरी रायपुर
सेल्स टेक्स पंजीयन क्र. आरवायपी/पांच/पांच/1980) वर्ष 1997-98

(10) मे. इंडियन स्पेशिलीटी फैट्स लि., सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया,बिलासपुर -
सेल्स टेक्स पंजीयन क्र. आरवायपी/पांच/एमएसडी/1743) वर्ष 1997-98

(11) एच.ई.जी. लि. बोरई, जिला दुर्ग -सेल्स टेक्स पंजीयन क्रमांक-054/डीआरजी/2/बीएचआईएल/3813/4) वर्ष 1997-98

(12) रायगढ़ सालवेन्ट एक्सट्रेक्शन प्लांट,रायगढ़
सेल्स टेक्स पंजीयन क्र. आरजीएच/3365/) वर्ष 1997-98

(13) ✓ महामाया स्टील इंडस्ट्रीज,उरला इंडस्ट्रियल एरिया,रायपुर
सेल्सटेक्स पंजीयन क्र. आरवायपी/4/आरवायपी/3731/0/ वर्ष 1997-98

(14) ✓ एम.पी.आयल एक्सट्रेक्शन लि.,भनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया,रायपुर
सेल्स टेक्स पंजीयन क्र. आरवायपी/4/24/337/) वर्ष 1997-98

(15) ✓ मे. हनुमान माइनर आयल्स लि.,उरला इंडस्ट्रियल एरिया,रायपुर
सेल्स टेक्स पंजीयन क्र.आरवायपी/4/आरवायपी/2701/5) वर्ष 1997-98

(16) ✓ मे. मां शारदा रेल प्रोडक्टस
सेल्सटेक्स पंजीयन क्र. -आरवायपी/4/आरवायपी/3430/7) वर्ष 1997-98

(17) ✓ मे. सुनील स्टील्स,उरला इंडस्ट्रियल एरिया,रायपुर
सेल्सटेक्स पंजीयन क्र. -आरवायपी/3/35/3483/1) वर्ष 1997-98

(18) ✓ मेसर्स पोरवाल टार प्रोडक्टस (प्रा.) लि. 206-सी उरला इंड. काम्पलेक्स,रायपुर
सेल्स टेक्स पंजीयन क्र.-आरवायपी/4/आरवायपी/2195) वर्ष 1997-98

(19) ✓ मे. श्री राधाकृष्ण स्टील लि.,टाटीबंद रायपुर
सेल्स टेक्स पंजीयन क्र.-आरवायपी/4/आरवायपी/3611/3) वर्ष 1997-98

(21) मेसर्स सोमानी इलेक्ट्रिकल्स (प्रा.) लि. उरला इंडस्ट्रियल स्टेट, रायपुर
सेल्स टेक्स पंजीयन क्र.-आरवायपी/4/आरवायपी/2927/9) वर्ष 1997-98

(22) मेसर्स हीरा फेरो एलायज लि. यूनिट नं.-1 रायपुर
आरवायपी/3/16/2904) वर्ष 1997-98

(23) मेसर्स सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री वर्क्स लि., यूनिट नं.-1 भिलाई.
डीआरजी/दो/डीआरजी/298) वर्ष 1997-98

(24) मेसर्स प्राईम सालवेन्ट एक्सट्रेक्शन लि., महासमुंद
सेल्स टेक्स नं. आरवायपी/5/एमएसडी/2292/2) वर्ष 1997-98

(25) मे. के.एन.आयल इंडस्ट्रीज लि., महासमुंद
सेल्स टेक्स नं. आरवायपी/5/एमएसडी/392) वर्ष 1997-98

(26) मे. ओरिसा कांक्रीट एंड एलाईड इंड.लि. यूनिट नं.-1, रायपुर
सेल्स टेक्स नं. आरवायपी/3/6/1728) वर्ष 1997-98

(27) मेसर्स ओरिसा कांक्रीट एंड एलाईड इंड.लि. यूनिट नं.-2, रायपुर
सेल्स टेक्स नंबर आरवायपी/3/6/2483

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अमृता बेक)
अवर सचिव,

रायपुर, दिनांक 1-3-2001

क्रमांक- 327/641/वाक/V/2001 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-326/641/वाक/V/2001 दिनांक-1-3-2001...का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अमृता बेक)
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 12.11.2001

क्रमांक एफ– 10 /392/2001/वाक–पांच(69) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचना में; उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट रीति तथा सीमा तक संशोधन करती है, अर्थात् :–

अनुसूची

क्रमांक	अधिसूचना क्रमांक व दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1	F-10-324-2001-विक-पांच(41), दिनांक 10.8.2001	उक्त अधिसूचना की अनुसूची का अनुक्रमांक 1 विलोपित किया जाये तथा यह विलोपन 10 अगस्त 2001 से प्रभावी समझा जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh

FINANCE, COMMERCIAL TAX, PLANNING, ECONOMIC AND STATISTICS & 20 POINT PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

MANTRALAYA

NOTIFICATION

Raipur dated 12.11.2001.

No.F-10/392/2001/CT/V(69) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No.5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in this department notification specified in column (2) of the schedule below to the extent specified in column (3);

SCHEDULE

S.No.	Notification No. and Date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1	F-10-324-2001-CT-V(41), dated 10th Aug 2001	Serial number 1 of the schedule to the said notification shall be deleted and shall be deemed to have been deleted with effect from 10th Aug 2001

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

(K. R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ. शासन
वित्त ,वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक, एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 29.11.2001

कमांक-एफ–10-2/2001/वा.क./पांच(73)-छत्तीसगढ. वाणिज्यिक कर अधिनियम ,1994 (कमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,राज्य सरकार , एतद् द्वारा , इस विभाग की अधिसूचना कमांक 326/641/वा.क./पांच/2001 दिनांक 1.3.2001 में निम्नानुसार संशोधन करती है :–

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना में शब्दों "30 नवम्बर 2001" के स्थान पर शब्दों "31 जनवरी 2002" को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

छत्तीसगढ. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के. आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 29.11.2001

क्रमांक एफ- 10-2 /2001/वा.क./पांच.,--भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10-2 /2001/वा क/पांच (73), दिनांक 29.11.2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के. आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance, Commercial Tax, Planning, Economic, and Statistics &
20-Point Programme Implementation
Department
Mantralaya
Notification

Raipur, Dated 29.11.2001

No. F- 10-2 /2001/CT/V(73) In exercise of powers conferred by sub section (9) of section 27 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the state government hereby makes the following amendment in this departmental notification No. 326/641/CT/V/2001, dated 1.3.2001 namely :-

Amendment

1. In the Notification for words "30th November 2001", words "31st January 2002" shall be substituted.

By order and in name of the Governor of Chhattisgarh,

KMishra

(K.R. Mishra)
Deputy Secretary